मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004
----0----

क्रमांक/एफ-5/16/81/10/3 भोपाल, दिनांक दिसंबर, 2000

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0 प्र0भोपाल ।

विषयः—वन संरक्षक अधिनियम,1980 के अंतर्गत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में अतिरिक्त शर्त जोड़ने के संबंध में ।

संदर्भः—इस विभाग का पत्र क्रमांक /147/99/10/3 दिनांक 12-1-2000

--00--

उपरोक्त सन्दर्भित राजस्व विभाग, खनिज संशासन विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त जारी किये गये परिपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि " स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा तथा यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना संबंधित ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जायेगी ।"

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त उत्खनन हेतु प्रत्यादर्तन की अनुमति के पश्चात राज्य शासन द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु निम्न शर्त अधिरोपित की जावेगी ।

" स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के 2 किलोमीटर की परिधि के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि आसपास के 2 किलोमीटर के वनक्षेत्र की परिधि में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी तथा वनमंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में की जावेगी,अन्यथा राज्य शासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।''

उपरोक्त शर्त शासन द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृतियों पर भी लागू होगी । पूर्व में जारी स्वीकृतियों के तारतम्य में संबंधित लीजधारी को इस शर्त के संबंध में सूचना भेजकर मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) द्वारा प्रकरण से संबंधित नस्ती में पालन प्रतिवेदन रखा जावेगा ।

(जी0 ए0 किन्हाल)
अपर सचिव वन
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

.....2

पृ० क्रमांक/एफ-5/16/81/10/3 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल ।
2. मुख्य वन संरक्षक (भू सर्वे) म.प्र.भोपाल/मु.व.सं(संरक्षण) भोपाल ।
3. वन संरक्षक...
4. जिलाध्यक्ष ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव वन
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म०प्र० भोपाल

क्रमांक/कक्ष-3/ 3075 भोपाल, दिनांक 11.12.2000

प्रतिलिपि:

1- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

2- समस्त वन मण्डलाधिकारी, म०प्र०

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । पूर्व में जारी स्वीकृतियों के तारतम्य में संबंधित लीजधारी को इस संबंध में सूचना भेजकर इस कक्ष को अवगत करावें ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म०प्र० भोपाल